PCH-HA(1) 4/2006-III-Loose-FRC -13003-13105
Government of Himachal Pradesh
Department of Panchayati Raj

To

1. **All the District Panchayat Officers in Himachal Pradesh.**

2. **All the Block Development Officers in Himachal Pradesh.**

Shimla-09 **Dated** **Dated - 09-07-2025**

Subject:- Regarding the role of Panchayat Secretaries w.r.t FRC.

Sir/Madam,

Kindly refer to the subject cited above. In continuation of this office letter No. PCH-HA(14)4/2006-10402-90 dated 21-02-2019, it is reiterated that under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994 Gram Sabha corresponds to Gram Panchayat which normally consists of more than one revenue villages. As per the provisions of FRA, Gram Sabhas are to be held at village / habitation level i.e. they are separate Muhal Sabha. Hence, Gram Sabha under Forest Right Act, is different from the Gram Sabhas constituted under H.P. Panchayati Raj Act,1994. Under Rule 3 of Forest Rights Rule, 2008 the Panchayat Secretary is required to convene the first meeting of the Gram/Muhal Sabha, for the purpose of constitution of Forest Rights Committee and other preliminary decisions. One important decision at this stage is the identification of Chairperson and Secretary of the FRC. At this meeting the presence of the Panchayat Secretary is necessary. Thereafter, the Forest Rights Committee and the Gram Sabha constituted under FRA can be left to continue their work, and the presence of the Panchayat Secretary at each and every meeting of the Gram Sabha is neither necessary nor required under the law. The Secretary of FRC can maintain minutes of the meetings and pass resolution without the presence of the Panchayat Secretary.

You are therefore, requested to issue instructions to all the Gram Panchayats, so that the provisions of Forest Rights Act is followed strictly.

Yours faithfully

Director
Panchayati Raj Department, H.P.
Himachal Pradesh, Shimla-9

-13106
Endst No.- PCH-HA(1) 4/2006-III-Loose-FRC **Shimla-09** **Dated – 09 – 07 – 2025**

Copy to:-
The Pvt. Secy. Hon'ble Revenue Minister for information.

Director
Panchayati Raj Department, H.P.
Himachal Pradesh, Shimla-9

179

संख्या:पीसीएच–एचए(14)4/2006 -10402-93
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

सेवा में,

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी
   हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांक 21 फरवरी, 2019.

विषय:– **वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 15.1.2019 में लिए गए निर्णय की अनुपालना बारे।**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के सन्दर्भ में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में निम्न दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ग्राम सभा की पहली बैठक बुलाएगा जिसमें वह बतौर सचिव कार्य करेगा। इस बैठक में वन अधिकार समिति का गठन किया जाएगा तथा इसी बैठक में वन अधिकार समिति इसके अध्यक्ष तथा सचिव के बारे में भी निर्णय लेगी तथा उसे उप–मण्डल स्तरीय समिति को सूचित करेगी अर्थात वन अधिकार समिति एक अध्यक्ष तथा एक सचिव नियुक्त करेगी जो वन अधिकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
2. विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अभी भी कुछ पंचायत सचिव वन अधिकार समिति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अतः ऐसे पंचायत सचिवों को निर्देश दिए जाते हैं कि जिन पंचायतों में वन अधिकार समिति का सचिव का चयन किया जा चुका है वहां वन अधिकार समिति से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड उक्त सचिव को सौंपे ताकि वह अधिनियम के अन्तर्गत आगामी कार्रवाई कर सकें परन्तु जिन पंचायतों में वन अधिकार समिति के सचिव चयनित नहीं हुए हैं और यह कार्य पंचायत सचिव ही कर रहे हैं उन पंचायतों में तुरन्त वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित ग्राम सभा व वन अधिकार समिति की बैठक बुलाकर इसके सचिव का चयन करवाया जाए और पिछला रिकार्ड, यदि कोई हो तो, उक्त चयनित सचिव को सौंपें तथा इसकी सूचना उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रदान करें।

3. विभाग के ध्यान में यह विषय भी बार–2 लाया जा रहा है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित ग्राम सभा की प्रथम बैठक के बाद क्या प्रत्येक बैठक में ग्राम पंचायत के सचिव को उपस्थित होना आवश्यक है या नहीं ? इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत का सचिव वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित ग्राम सभा की पहली बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेगा क्योंकि उक्त अधिनियम के प्रावधान के तहत ग्राम सभा की पहली बैठक में वन अधिकार समिति के गठन के साथ–2 इसके अध्यक्ष और सचिव के चयन का निर्णय होगा। इसके पश्चात वन अधिकार समिति और ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत सचिव की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तथा आगामी कार्य वन अधिकार समिति तथा ग्राम सभा स्वयं करेगी। वन अधिकार समिति का सचिव पंचायत सचिव की अनुपस्थिति में कार्यवाही को लेखवद्व तथा प्रस्तावों को पास करवा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वन अधिकार अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों विशेषकर नियम 2–ए तथा नियम 11 में ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा को जो–2 दायित्व सौंपे गए है उससे सम्बन्धित जनजातीय विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए संकलन के सम्बन्धित पृष्ठों की प्रतिलिपि मार्गदर्शन तथा आगामी कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन दिशानिर्देशों की समस्त पंचायत सचिवों को प्रदान करने की कृपा करें ताकि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सकें।

भवदीय,

(राकेश कंवर)
निदेशक एवं विशेष सचिव(ग्रा0वि0 एवं पचांयती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171009.

पृ0सं0 उपरोक्त 10494 **शिमला–171009** **दिनांक** 2 **फरवरी, 2019.**

प्रतिलिपिः

उप निदेशक, जनजातीय विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला –2 को पत्र संख्या टीबीडी.एफ(टीडीएम)1–1/2018– दिनांक 19 जनवरी, 2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

निदेशक एवं विशेष सचिव(ग्रा0वि0 एवं पचांयती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171009.